



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 760) पटना, मंगलवार, 2 जुलाई 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

2 जुलाई 2019

सं० 3/एम0-10/2016-8762—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार।—
 - (i) यह नियमावली "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी।
 - (ii) इसका विस्तार "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा।
 - (iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016" के नियम-1(1) में संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम-1(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"यह नियमावली "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।"

3. "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016" में प्रयुक्त समूह 'घ' शब्द का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली में जहाँ कहीं भी समूह 'घ' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

2 जुलाई 2019

सं० 3/एम०-10/2016-8763/ अधिसूचना सं० 8762 दिनांक 2 जुलाई 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

The 2nd July 2019

No.3/M-10/2016-GAD-8762— In exercise of Powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules to amend the "Office of Resident Commissioner, New Delhi, Group 'D' Cadre (Recruitment, Promotion & Service Conditions) Rules, 2016:—

1. Short title, extent and commencement.—

- (i) These Rules may be called The "Office of Resident Commissioner, New Delhi, Group 'D' Cadre (Recruitment, Promotion & Service Conditions) (Amendment) Rules, 2019."
- (ii) It shall extend to the Office of Resident Commissioner, New Delhi.
- (iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Rule 1(1) of Office of Resident Commissioner, New Delhi, Group 'D' Cadre (Recruitment, Promotion & Service Conditions) Rules, 2016.-

The Rule 1(1) of the said rules shall be substituted as below-

" These Rules may be called the **Office of Resident Commissioner, New Delhi, Office Attendent/Attendent (Specific) Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016"**

- 3. Substitution of the words Group 'D' in Office of Resident Commissioner, New Delhi, Group 'D' Cadre (Recruitment, Promotion & Service Conditions) Rules, 2016.-**The words **Group 'D'** wherever used in the said rules shall be substituted by the words **Office Attendent/Attendent (Specific)**.

By the order of the Governor of Bihar,
GUFRAN AHMAD,
Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 760-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>